



बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

## Citizen Service ( नागरिक सुविधाओं ) के बारे में जानकारी - भाग-3

### घर बैठे अपनी जमीन का लगान Online भुगतान करें।

#### भू-लगान सुविधा का लाभ उठायें

① <https://biharbhumi.bihar.gov.in/> को खोलें तथा "भू-लगान" पर क्लिक करें।

② अगर आप **registered User** है तो आप अपना मोबाइल no की मदद से लॉगिन करें (अगर नए **User** है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें) तथा लॉगिन के पश्चात "लगान भुगतान करें" पर क्लिक करें।

④ देखें बटन **click** करने के पश्चात् जमाबंदी तथा लगान से संबंधित सभी सूचनाएं तथा बकाया राशि कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने लगेगी।

③ उसके बाद जिस जमाबंदी का लगान भुगतान करना है उस जमाबंदी का जिला, अंचल, हलका, मौजा एवं जमाबंदी से संबंधित विवरण (यथा भाग-पृष्ठ, रैयत नाम, खाता, खेसरा, जमाबंदी सं0 कम्प्यूटराइज्ड जमाबंदी सं0 आदि) भरकर रैयत अपनी जमाबंदी पंजी के पेज को खोजें, जिसके पश्चात् अपनी जमाबंदी के आगे दिये गये 'देखें' बटन पर **click** करें।

⑤ लगान राशि भुगतान करने के लिए अपना नाम, मोबाईल संख्या तथा पता लिखकर ऑनलाईन भू-लगान भुगतान करने हेतु 'ऑनलाईन भुगतान करें' बटन पर **click** करें।

⑥ अब रैयत को लगान भुगतान करने हेतु वेब-पेज दिखाई देगा, जहाँ लगान भुगतान हेतु दो विकल्प उपलब्ध होंगे।

⑦ **E-payment**

- Online net banking -PNB, IDBI, SBI, UBI, Canara Bank, Bank of Baroda only.
- UPI- SBI
- Debit and Credit Card- SBI

⑦ **Payment over the bank counter through challan (Only PNB & SBI)**

⑧ E-payment के माध्यम से भू-लगान के सफल भुगतान के बाद रैयतों को लगान रसीद की प्रति प्राप्त हो जाएगी।

⑧ बैंक चलान की प्रति प्राप्त होगी, जिसे रैयत अपने बैंक में जाकर **challan** के माध्यम से भू-लगान का भुगतान कर सकेंगे तथा लगान रसीद की प्राप्ति वे अपने जमाबंदी पंजी पृष्ठ से देख सकेंगे।

